

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश


क्रमांक-3/प.क./सेल-1/2018/282

भोपाल, दिनांक 20-03-2018

विज्ञप्ति

समूह-01 (उप समूह-3) के अंतर्गत खण्ड विस्तार प्रशिक्षक (बी.ई.ई.) की सीधी भर्ती हेतु

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा समूह-01 (उप समूह-3) के अंतर्गत खण्ड विस्तार प्रशिक्षक (बी.ई.ई.) की सीधी भर्ती हेतु 05.11.2017 को संपादित परीक्षा के अनुक्रम में प्रावीण्य सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन दिनांक 02.04.2018 को राज्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो, जयप्रकाश चिकित्सालय परिसर, भोपाल में किया जावेगा। चयनित अभ्यर्थी अपने मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं 02 स्वयं सत्यापित छायाप्रतियों के साथ निर्धारित दिनांक 02.04.2018 समय 11:00 बजे उपस्थित हों। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी का कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अभ्यर्थी का ही होगा।


(डॉ० जे. एल. मिश्रा)
संचालक (परिवार कल्याण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुडा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

(काउंसलिंग स्थल:-राज्य सूचना शिक्षा एवं संचार ब्यूरो जे.पी.चिकित्सालय परिसर, भोपाल)

-
खण्ड विस्तार प्रशिक्षक (बी.ई.ई.) सीधी भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु पंजीयन प्रपत्र (अभिलेख की छायाप्रति 02 प्रतियों में स्वयं सत्यापित कर संलग्न करें।)

1. अभ्यर्थी का नाम :-
2. प्रावीण्य सूची में चयनित संवर्ग का नाम :-
3. चयन सूची का रोल नम्बर एवं मैरिट क्रमांक :-
4. पत्राचार हेतु पूर्ण पता :-
5. गृह जिले का नाम :-
6. मोबाईल नम्बर :-
7. ई-मेल आई.डी. :-
8. जन्मतिथि प्रमाणीकरण हेतु हाई स्कूल /:-
हायर सेकेन्डरी परीक्षा की अंक सूची / प्रमाण पत्र
9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र :-
10. मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र :-
11. एम.ए. समाजशास्त्र विषय के साथ उत्तीर्ण की अंकसूची:-
12. एम.ए. (समाजशास्त्र) डिग्री :-
13. विश्वविद्यालय का नाम :-
14. अन्य कोई योग्यता (यदि हो तो) का प्रमाण-पत्र :-
15. नवम्बर 2017 में पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षा की अंक सूची :-
16. शासन द्वारा मान्य पहचान पत्र (आई. डी. प्रूफ) :-

दिनांक:-

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्राप्त होने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी एवं नियमानुसार मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

विवाहित उम्मीदवारो हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

प्रारूप

शपथ - पत्र
(नोटराईज्ड)

मैं आयु (जन्म दिनांक)
..... पुत्र/पुत्री/पत्नि निवासी
..... शपथपूर्वक
कथन करता/करती हूँ -

1. यह कि मैरा चयन पद पर हुआ है।
2. यह कि मैरी एक से अधिक जीवित पत्निया नहीं हैं। / यह कि मेरे द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं किया गया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है।
3. यह कि मैरा विवाह दिनांक को हुआ है एवं शासन द्वारा विहित की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह नहीं किया गया है।
4. यह कि मेरी जीवित संतान है। / यह कि मेरी तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात नहीं हुआ है।
5. यदि उपरोक्त जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा। जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।

(शपथ ग्रहिता)

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता
सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 01 लगायत 05
में दी गई समस्त जानकारिया मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य
एवं सही है। जिनका सत्यापन आज दिनांक को
..... में किया गया है।

(शपथ ग्रहिता)

विवाहित महिला उम्मीदवारों हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र
यदि मूल प्रमाण पत्रों एवं पी.ई.बी. द्वारा जारी परिणाम में भिन्नता (सरनेम)

प्रारूप

शपथ - पत्र
(नोटरीज्ड)

मैं आयु (जन्म दिनांक)
..... पुत्र/पुत्री/पत्नि निवासी
..... शपथपूर्वक
कथन करता/करती हूँ -

1. यह कि मेरा चयन पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरे मूल प्रमाण पत्रों में विवाह के पूर्व नाम एवं सरनेम
पिता अंकित है। विवाह के पश्चात् मेरा पूर्ण नाम एवं सरनेम
..... पति हो गया है।

(शपथ ग्रहिता)

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता
सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 01 लगायत 02
में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य
एवं सही हैं। जिनका सत्यापन आज दिनांक को
..... में किया गया है।

(शपथ ग्रहिता)